भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं.*215
07 अगस्त, 2026 को उत्तर देने के लिए

पंजाब में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना का आकलन

***215. #श्री तरुण चुग:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पंजाब के प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन अवसंरचना की पर्याप्तता के संबंध में कोई आकलन किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य भर में शीत श्रृंखला (कोल्ड चेन) की अवसंरचना, कृषि-प्रसंस्करण सुविधाओं और फसल की कटाई के बाद मूल्य संवर्धन क्षमता में कोई कमियाँ चिह्नित की गई हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या पंजाब में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के निर्माण या विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 07.08.2026 को "पंजाब में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना का आकलन" के संबंध में उत्तर हेतु तारांकित प्रश्न संख्या *215 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने समय-समय पर विभिन्न आकलन किए हैं ताकि पंजाब सहित भारत में उत्पादित विभिन्न कृषि वस्तुओं के खाद्य प्रसंस्करण के समग्र स्तर का निर्धारण किया जा सके और मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित्त की जा रही योजनाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सके। एमओएफपीआई ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत घटक योजनाओं के कार्यान्वयन, परिणामों और प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भी किए हैं। वर्ष 2025 में किए गए अध्ययनों की रिपोर्टों के अनुसार, निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गई हैं:

- बीडीओ इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी) योजना के तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन ने किसी विशेष क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसंस्करण स्तर वाले देशों की तुलना में भारत में प्रसंस्करण स्तर की कमी का आकलन किया है। अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार, उच्च प्रसंस्करण स्तर वाले देशों के साथ मौजूद अंतर को कम करने के लिए भारत को अतिरिक्त 3,702 एलएमटी प्रसंस्करण क्षमता की आवश्यकता है।
- एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना का तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ कंसल्टिंग (पी) लिमिटेड द्वारा किया गया। इसने अनुमानित कोल्ड स्टोरेज आवश्यकता में अंतर का आकलन किया और बताया कि यह अंतर वर्ष 2015 में 32.72 लाख एमटी से बढ़कर वर्ष 2025 में 48.03 लाख एमटी हो गया है, जिसका प्रमुख कारण बढ़ती शहरी मांग और उपभोग के पैटर्न हैं।
- भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) द्वारा किए गए एपीसी योजना के तृतीय-पक्ष प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन में रेखांकित किया गया है कि इस योजना ने देशभर में कृषि-प्रसंस्करण अवसंरचना को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 68 जारी क्लस्टरों के साथ, यह योजना ₹ 2,014.57 करोड़ के निवेश को आकर्षित कर रही है। 27 नमूना कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टरों के मूल्यांकन के आधार पर, इस योजना ने पर्याप्त परिरक्षण (2.58 लाख एमटी) एवं प्रसंस्करण (15.14 लाख एमटी) क्षमता का सृजन किया है, रोजगार (29,944) उत्पन्न किए हैं, तथा किसानों (67,110) को लाभ पहुँचाया है।
- एमओएफपीआई ने क्रिसिल लिमिटेड के माध्यम से "भारत के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की अवसंरचना एवं लॉजिस्टिक्स आवश्यकताओं का आकलन" शीर्षक से एक अध्ययन कराया है। इस अध्ययन ने शीत श्रृंखला, वेयरहाउसिंग अवसंरचना तथा ग्रामीण अवसंरचना में मौजूद कमियों की पहचान की है। अध्ययन में यह भी रेखांकित किया गया है कि भारत में कोल्ड चेन अवसंरचना कुछ चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे कुछ क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी, समय-समय पर रेफ्रिजरेटेड परिवहन के सीमित विकल्प आदि। कुछ क्षेत्रों में कच्चे माल और तैयार माल के भंडारण के लिए सीमित वेयरहाउसिंग क्षमता भी देखी गई है।

(ग): एमओएफपीआई खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तीन योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से प्रसंस्करण/परिरक्षण क्षमता सृजन और विस्तार को सहायता प्रदान करता है जिसमें से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और मूल्य वर्धन करना, किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करना, रोजगार के अवसर सृजित करना, प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाना तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। मंत्रालय की ये योजनाएँ मांग-आधारित हैं और समय-समय पर पंजाब सहित देशभर से उपलब्ध निधियों के अधीन अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत निधियों का आवंटन राज्य-वार, क्षेत्र-वार या सेक्टर-वार आधार पर नहीं किया जाता है। एमओएफपीआई द्वारा कार्यान्वित इन तीन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

i. केंद्रीय क्षेत्र की योजना- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई):

पीएमकेएसवाई (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2017-18 से पूरे देश में कार्यान्वित्त की जा रही है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक योजनाएँ हैं: (i) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य वर्धन अवसंरचना, (ii) खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी योजना), (iii) ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी योजना), (iv) कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन (एपीसी योजना), (v) मेगा फूड पार्क (एमएफपी योजना—दिनांक 01.04.2021 से बंद), और (vi) बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज सृजन (सीबीएफएल योजना—दिनांक 01.04.2021 से बंद)। इन घटक योजनाओं के अंतर्गत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुदान सहायता/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे प्रसंस्करण तथा परिरक्षण दोनों प्रकार की अवसंरचना सुविधाओं, जिनमें शीत श्रृंखला अवसंरचना भी शामिल है, का सृजन होता है।

II. केंद्र प्रायोजित " प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना:"

एमओएफपीआई देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु केंद्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" कार्यान्वित्त कर रहा है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक की पाँच वर्ष की अवधि के लिए प्रचालनरत है (जिसे 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाया गया है) । इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना तथा इस क्षेत्र के औपचारिकीकरण को बढ़ावा देना है।

III. केंद्रीय क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई):

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफ़पीआई) का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य विनिर्माण अग्रणी संस्थाओं के सृजन में सहायता करना तथा अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में भारतीय खाद्य उत्पाद ब्रांडों को बढ़ावा देना है। यह योजना ₹10,900 करोड़ के परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक की छह वर्षीय अवधि में कार्यान्वित्त की जा रही है। योजना के उद्देश्य ऐसे खाद्य विनिर्माण संस्थानों को सहायता प्रदान करना हैं जिनकी निर्धारित न्यूनतम बिक्री हो और जो प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार तथा विदेशों में ब्रांडिंग के लिए निर्धारित न्यूनतम निवेश करने के इच्छुक हों, ताकि सशक्त भारतीय ब्रांडों के उभरने को प्रोत्साहित किया जा सके ।

पंजाब राज्य में उपर्युक्त योजनाओं की स्थिति **अनुबंध** में दी गई है ।

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 07.08.2026 को "पंजाब में खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना का आकलन" के संबंध में उत्तर हेतु तारांकित प्रश्न संख्या *215 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क. पंजाब में पीएमकेएसवाई के अंतर्गत प्रगति

योजना	अनुमोदित परियोजनाएं	पूर्ण/प्रचालनरत परियोजनाएं	परियोजना लागत (करोड़ रु. में)	अनुमोदित अनुदान सहायता @ (करोड़ रु. में)	जारी अनुदान सहायता@ (करोड़ रु. में)	अपेक्षित प्रसंस्करण क्षमता (एलएमटी/वार्षिक)	अपेक्षित्त परिरक्षण क्षमता सृजित (एलएमटी/ वार्षिक)	कोल्ड स्टोरेज/फ़्रोजन स्टोरेज/सीए/एमए की अपेक्षित संख्या
एपीसी	3	1	70.50	20.12	14.51	1.18	0.22	3
बीएफएल	4	4	52.25	12.62	12.25	0.17	0.17	15
सीसी	25	21	566.98	157.03	138.40	6.44	1.94	42
सीईएफपीपीसी	21	12	523.72	88.90	52.55	4.08	0.00	0
एफटीएल	9	7	46.72	23.68	20.40	0.00	0.00	0
एमएफपी	3	2	351.06	136.18	131.06	2.04	4.26	15
ओजी	1	0	45.29	9.84	3.18	0.24	0.05	4
आरएंडडी	12	12	6.01	5.97	5.63	0.00	0.00	0
कौशल	1	1	1.23	0.64	0.64	0.00	0.00	0
कुल	**79**	**60**	**1663.76**	**454.98**	**378.62**	**14.16**	**6.64**	**79**

दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार

@अनुमोदित परियोजनाओं की स्थिति

ख. पंजाब में पीएमएफएमई के अंतर्गत प्रगति

घटक	समग्र उपलब्धि
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी- व्यक्तिगत उद्यम	संचयी स्वीकृत ऋण: 3,506, जिनकी परियोजना लागत ₹1311.59 करोड़, स्वीकृत राशि ₹990.89 करोड़ और सब्सिडी ₹298.05 करोड़ है।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी- साझा अवसंरचना	स्वीकृत ऋण: 4, जिनकी परियोजना लागत ₹9.30 करोड़, स्वीकृत राशि ₹6.56 करोड़ और सब्सिडी ₹3.25 करोड़ है।
प्रारम्भिक पूंजी (स्वीकृत राशि के साथ अनुमोदित एसएचजी सदस्यों की संख्या)	1404 एसएचजी सदस्यों के लिए ₹4.36 करोड़ स्वीकृत
अनुमोदित इनक्यूबेशन केंद्र	1 अनुमोदित- कृषि विज्ञान केंद्र, पटियाला, 3.45 करोड़ रु. की अनुदान सहायता के साथ
ब्रांडिंग एवं विपणन	2 प्रस्ताव "आसना" "फाइव रिवर" ब्रांड के साथ अनुमोदित

दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार

ग. पंजाब में पीएलआईएफएफपीआई योजना के अंतर्गत प्रगति

अनुमोदित कुल परियोजनाएं	9
पूर्ण कुल परियोजनाएं	9
कुल प्रतिबद्ध परियोजना लागत (करोड़ रु. में) [प्रतिबद्ध निवेश]	126.30
कुल वास्तविक/रिपोर्टेड परियोजना लागत (करोड़ रु. में) [वास्तविक निवेश]	136.02
कुल प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित	3841
पीएलआईएस के अंतर्गत सृजित कुल प्रसंस्करण क्षमता (एमटी/वार्षिक)	155263

दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार